हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मई, 2010

संख्या साठकाठिन 14/संविठ/अनुठ 309/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात :—
 - "7क उप अधीक्षक पुतिस, साईबर क्राईम की दशा में भर्ती का ढंग तथा शैक्षणिक अर्हताएं.—उप अधीक्षक पुलिस साईबर क्राईम के पद की भर्ती उन व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, अर्थात्:—
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सिंहत कम्प्यूटर साईस तथा इंजीनियरिंग में बी०ई०/बी०टैक०/एम०टैक०:

परन्तु यदि डिग्री दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा प्रदान की गई है तो पाठ्यक्रम/डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद् की संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए; तथा

- (ii) दसवीं या उच्चतर अर्हता हिन्दी/संस्कृत सहित।"।
- 3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परिशिष्ट क

			"परिशिष्ट	क			
क्रम	पद नाम	No. of the last of	पदों की संख	п	•	वेतनमान	
संख्या		स्थाई	अस्थाई	कुल			
1	2	3	4	5		6	
1.	उप अधीक्षक पुलिस	141	64	205	(i) (ii)	9300-34800/- पीठबीठ-2, ग्रेड पे 5400/-(प्रवेश स्तर वेतन बेंड 15600-39100/- पीठबीठ-3, ग्रेड वेतनमान 6000/- (5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेव के पश्चात्)	
					(iii)	15600-39100/- पीठबीठ-3, ग्रेड वेतनमान 7600/- (11 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात संवर्ग पदों के 20 प्रतिशत तक सीमित)	
					(iv)	पूर्व पुनरीक्षित प्रोन्नित में 14300- 18300/- में 17 वर्ष की नियमित सेवा 10% की सीमा तक संवर्ग पद में प्राप्त कर लिया हो को 37400-67000/- पी०बी०-4, ग्रेड वेतनमान 8700/- (जिन्होंने 17 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, मिलेगा)	
	उप अधीक्षक पुलिस शस्त्र निरीक्षण शस्त्रसाज (आरमोरर)	01		01	(i)	9300-34800/- पीं०बी०-2, ग्रेड पे 5400/- (प्रवेश स्तर वेतन बेंड)	
					(ii)	15600-39100/- पीठबीठ-3, ग्रेड वेतनमान 6000/- (5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के पश्चात्)	
					(iii)	15600-39100/- पी०बी०-3, ग्रेड वेतनमान 7600/- (11 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात संवर्ग पदों के 20 प्रतिशत तक सीमित)	

1	2	3	4	5		6
					(iv)	पूर्व पुनरीक्षित प्रौन्नैति में 14300- 18300/- में 17 वर्ष की नियमित सेवा 10% की सीमा तक संवर्ग पद में प्राप्त कर लिया हो के 37400-67000/- पी०बी०-4, ग्रेड वेतनमान 8700/- (जिन्होंने 17 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, मिलेगा।
3.	उप अधीक्षक पुलिस साईबर क्राईम		02	02	(i)	9300-34800/- पीठबीठ-2, ग्रेड पे 5400/- (प्रवेश स्तर वेतन बेंड)
•					(ii)	15600-39100/- पी०बी०-3, प्रेड वेतनमान 6000/- (5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के पश्चात्)
					(iii)	15600-39100/- पीठबीठ-3, ग्रेड वेतनमान 7600/- (11 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् संवर्ग पदों के 20 प्रतिशत तक सीमित)
					(iv)	पूर्व पुनरीक्षित प्रोन्नित में 14300- 18300/- में 17 वर्ष की नियमित सेवा 10% की सीमा तक संवर्ग पद में प्राप्त कर लिया हो को 37400-67000/- पीठबीठ-4, ग्रेड वेतनमान 8700/- (जिन्होंने 17 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, मिलेगा)''।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

"परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 13)

			(दाखय ।नयम १३)		
क्रम संख्या	पदनाम्	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकार्र
1	2	3	4	5	6
1.	उप अधीक्षक पुलिस		(1) लघु शास्तियां :- (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;	महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक	सरकार
3.	उप अधीक्षक पुलिस, शस्त्र निरीक्षण शस्त्रसाज (आरमोरर) उप अधीक्षक पुलिस, साइबर क्राईम	सरकार	(ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नित रोकना; (iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघन द्वारा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली; और	सरकार	
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;		
		(2) बड़ी शास्तियां :		
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए		

समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति, ऐसे अतिरिक्त निर्देशों

1 2 3 4 5 6

सिंत कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनित उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थिगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;

- (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनित जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिसमें वह अवनत किया गया था, पदोन्नित के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड या पद या सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्टता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;
- (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; और
- (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।"।

कृष्ण मोहन वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 10th May, 2010

No. G.S.R. 14/Const./Art. 309/2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Police Service Rules, 2002, namely:—

- 1. These rules may be called the Haryana Police Service (Amendment) Rules, 2010.
- 2. In the Haryana Police Service Rules, 2002, (hereinafter called the said Rules), after rule 7, the following rule shall be inserted namely:—
 - "7A Method of Receruitment and educational qualifications in the case of Deputy Superintendent of Police, Cyber Crime-Recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police, Cyber Crime, shall be made by direct recruitment from amongst persons who posses the following educational qualifications namely:—
 - (i) B.E./B.Tech/M.Tech. in Computer Science and Engineering with minimum 60% marks from a recognized university:

Provided that in case the degree is awarded by distance education mode then the course/degree should be approved by the Joint Committee of University Grants Commission, All India Counci! of Technical Education and Distance Education Council;

and

- (ii) Matric or higher qualification with Hindi/Sanskrit.".
- 3. In the said Rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substitued, namely :—

"APPENDIX A

			APPENDIX	A			
Serial	Designation		umber of Pos		Scale of Pay		
No.	of Posts	Permanent	Temporary	Total			
1	2	3	4	5	6		
1.	Deputy Superintendent of Police	t 141	64	205	(i) Rs. 9300-34800/- PB-2 Grade pay 5400/- (entry level pay band)		
					(ii) Rs. 15600-39100/- PB-3 Grade pay 6000/- (after five years of regular satisfactory service)		
					(iii) Rs. 15600-39100/- PB-3 Grade Pay 7600/- (after 11 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post.)		
					(iv) Rs. 37400-67000/- PB-4 Grade Pay 8700/- (for those who have completed 17 years of regular satisfactory service in the cadre limited to 10% of the cadre pos assuming pre-revised upgradation to 14300 18300/- on completion o 17 years to regula satisfactory service)		
2.	Deputy Superintender of Police, Arms Inspec (Armourer)		_	01	(i) Rs. 9300-34800/- PB-2 Grade pay 5400/- (entry level pay band)		
					(ii) Rs. 15600-39100/- PB-3 Grade pay 6000/- (afte five years of regula satisfactory service)		
					(iii) Rs. 15600-39100/- PB-Grade Pay 7600/- (after 1 years of regula satisfactory service limited to 20% of the cadre post.		

1	2	3	4	5	6
					(iv) Rs. 37400-67000/- PB-4 Grade Pay 8700/- (for those who have completed 17 years of regular satisfactory service in the cadre limited to 10% of the cadre post assuming pre-revised upgradation to 14300- 18300/- on completion of 17 years to regular satisfactory service)
3.	Deputy Superintendent of Police, Cyber Crime	-	02	02	(i) Rs. 9300-34800/- PB-2 Grade pay 5400/- (entry level pay band)
					(ii) Rs. 15600-39100/- PB-3 Grade pay 6000/- (after five years of regular satisfactory service)
					(iii) Rs. 15600-39100/- PB-3 Grade Pay 7600/- (after 1) years of regula satisfactory service limited to 20% of the cadre post.
					(iv) Rs. 37400-67000/- PB-6 Grade Pay 8700/- (for those who have completed 17 years of regular satisfactory
					service in the cadre limited to 10% of the cadre possassuming pre-revised upgradation to 14300-18300/- on completion of 17 years to regular satisfactory service)".

4. In the said Rules, for Appendix B, the following Apendix shall be substituted, namely:—

"APPENDIX B

(See Rule 13)

Serial No.	Designation Appointing Nature of penalty authority		Authority empowered to impose penalty	Appellate authority			
1	2	3		4	5	6	
1.	Deputy Superintendent of Police	Government	(1) M (i)	in the personal file (character roll);	Director General of Police and Inspector General of	Government	
2.	Deputy Superintendent of Police, Arms Inspection (Armourer)		a de	i) withholding of promotion; v) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence	Police Government	nt	
3.	Deputy Superintendent of Police, Cyber Crime			or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of indivduals whether			
				incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the legislative of a State;	 I		
			(v) withholding of increments without cumulative effect;	Govern- ment	Govern- ment	

3

_

2

4

5

6

(2) Major penalties

- (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;
- (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay;
- (viii) reduction to a lower scale of pay grade, post or service which shall ordinary be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade, post or service;
 - (ix) complusory retirement;

	_	 2		1	5	6
1	2	3		4	3	0
			(x) removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government; and			
			(xi)	dismissal from Service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.		

KRISHNA MOHAN,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Home Department.